कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

मिसल 1/139/07 तारीख रजू ....

उनवान जलसिंह वगैरा बनाम करण वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2009	आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादीगण की ओर से श्री मानसिंह चौधरी वकील ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। जाकर दिनांक : 10/08/2009 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/8/09	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील की जाकर पत्रावली दि० 7-10-09 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
7/10/09	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी 1, 2 व 10 की ओर से श्री भीमसिंह गुर्जर वकील उपस्थित। वकालतनामा पेश किया। शा०मि०हो। शेष प्रतिवादी 3 लगा० 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दि० 10-11-09 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
10/11/09	वकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. सहव... हड़ताल... है। पत्रावली दिनांक 30/11/09 को पेश हो। रीडर	
30/11/09	आज यह पत्रावली पेश हुई आज बार एसो० ने कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 30/12/09 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)	
30/12/09	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। जवाब दावा का समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 28/1/2010 को पेश हो।	
28/01/10	वकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. सहव पं० चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/4/10 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तारीख
21/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पर बहस वकील वादी की सुनी गई। पत्रावली व बहस पर मनन किया। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक विधि राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शाउ किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल कार्यालय जिला अभिलेख भण्डार हो। सुनाया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/313/2015

वउनवान

1. जलसिंह पुत्र भमोरी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर
2. लखनसिंह पुत्र भमोरी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. करण पुत्र छोटी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

1/1. शिवसिंह पुत्र करण जाति जाट

1/2. शीशराम पुत्र करण जाति जाट

1/3. रामश्री पुत्री करण जाति जाट

1/4. लोंगश्री पुत्री करण जाति जाट

1/5. ओमवती पुत्री करण जाति जाट

निवासीयान ग्राम रेटा तहसील कठूमर

2. रूपी पुत्र छोटी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

4. नत्थी पुत्र मवासी जाति जाट

5. हरीराम पुत्र हरचन्दी जाति जाट

6. जगदीश पुत्र हरचन्दी जाति जाट

7. जगवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाट

8. हरवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाट

9. नाहरसिंह पुत्र खूवी जाति जाट

10. पूरन पुत्र होती जाति जाट

निवासीयान ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा

श्री मानसिंह चौधरी एडवोकेटस– वकील वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.07.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 143 रकवा 0.20 हे. 145 रकवा 0.09 हे. 337 रकवा 0.16 हे. 341 रकवा 0.14 हे. 343 रकवा 0.23 हे. 362 रकवा 0.11 हे. 364 रकवा 0.23 हे. 467 रकवा 0.23 हे. 127 रकवा 0.16 हे. 128 रकवा 0.19 हे. 140 रकवा 0.19 हे. किता 11 रकवा 1.93 हे. वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है जो साविक खसरा नम्बरान 251 मिन, 238 मिन 89 मिन, 89 मिन, 76 मिन 120 मिन 119 मिन 148 मिन, 246 मिन, 245 मिन, 251 मिन वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर से बनाये गये है। वादीगण ने परिवार का सजरा दावा के पैरा सं0 2 में अंकित किया है। चरना वादीगण के पडदादा थे चरना के दो पु.त्र छोटी व मोहनलाल पैदा हुये जो दोनों फौत हो गये। छोटी के दो पुत्र व रूपी पैदा हुये तथा मोहनलाल के एक पुत्र भभोरी पैदा हुआ। भभोरी का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस वादीगण है। चरना के मरने के बाद विवादित आराजी निष्फ–2 छोटी व मोहनलाल को विरासत में प्राप्त हुई। इनके फौत हो जाने पर मृतक चरना के विरासत में प्राप्त आराजी का 1/2 हिस्सा करन रूपी व 1/2 हिस्सा भभोरी व व भभोरी के फौत हो जाने पर वादीगण जलसिंह व लखनसिंह को विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण के 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1–2 के 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के 1/8 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 के 1/8 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 के 1/4 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 10 के 1/4 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण विवादित आराजी के 1/8 हिस्सा पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथाा मौके पर कब्जे काश्त में है। उपरोक्त विवादित आराजी तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दादा मोहनलाल प्रतिवादी सं0 1–2 के पिता छोटी पि0 चरना वहिस्सा बराबर दर्ज है लेकिन संवत् 2018 की जमाबन्दी बनाते समय पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियान, अधिकारियान ने विना किसी हक व अधिकार के मौकर एंव कब्जा के विपरीत विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी वावत वादीगण के पिता दादा का नाम खत्म कर विवादित आराजी का एक बैल प्रतिवादी के पिता छोटी के नाम दर्ज करदिया तथा वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने से छोड दिया जवकि राजस्व कर्मचारियान अधिकारियान को तो विवादित आराजी में वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं0 1–2 के पिताका नाम वहिस्सा बराबर दर्ज करना चाहिए था। हाल राजस्व रेकार्ड गलत है। उक्त आराजी पैत्रिक है। जिसमें वादीगण को अधिकार पैदा होते है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1–2 की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज है। जिस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा जवरन कब्जा करने व प्रतिवादी सं0 3 से मिलकर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादीगण को काफी नुकशान व क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी के 1/8 हिस्सा से प्रतिवादी सं0 1–2 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम खातेदारी में घोषित कराने व प्रतिवादीगणको डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 1–2 ने हाजिर अदालत होकर जवाव दावा पेश कर वादीगण के दावा के तथ्यों का विरोध किया है तथा दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रतिवादी सं0 3 ला0 9 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 07.10.09 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान की जरिये रजिस्टर्ड ए डी से तामील कराई गई दिनांक 25.03.2022को प्रतिवादी सं0 1/1 ला0 1/5 जरिये रजिस्टर्ड एडी के हाजिर नही आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 30.05.2022 को प्रतिवादी सं0 2 के हाजिर नहीं आने पर उसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066, प्रदर्श 2 जमान्दी संवत् 2010, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2010 प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2010 प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत् 2018, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 7 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 8 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 9 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 10 नकल मिलान क्षैत्रफल पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह PW1 वादी लखनसिंह PW2 पदमसिंह PW3 जगदीश के वयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वादीगण ने दिनांक 30.05.2022 को प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 14 जा0दी0 का अदालत हाजा में पेश किया व निवेदन किया कि मिलान क्षैत्रफल वाके ग्राम रेटा नकल जमाबन्दी संवत् 2028 नकल जमाबन्दी संवत् 2003 व 2014 वाके ग्राम रेटा द्वितिय साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर साक्ष्य में ग्राहय कर लिया जावे। जो प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में ग्राहय किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस पेश की है जो शामिल पत्रावली है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस में अपने दावा के तथ्यों को ही दोहराया व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वाद पत्र के तथ्यों एंव गवाह पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 3 एंव दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

साक्ष्य प्रदर्श 1 ला0 10 एंव द्वितिय में साक्ष्य में ग्राहय किये गये राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की लिखित वहस पर मनन किया। वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित है। अतः दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 3 के वयानों का अवलोकन किया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से विवादित आराजी के हाल व साविक खसरा नम्बर सही मेल खाते है। जमाबन्दी संवत् 2003, 2011, 2014 में विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बर वादीगण के दादा मोहनलाल और प्रतिवादीगण के दादा व पिता छोटी वहिस्सा बराबर खातेदार व काश्त दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 में वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने विवादित आराजी वावत वादीगण के दादा मोहनलाल की खातेदारी खत्म कर 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के दादा व पिता छोटी के नाम दर्ज की है। वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को तो पुराने इन्द्राज ही रिपीट कर विवादित आराजी वावत वादीगण के दादा मोहनलाल व प्रतिवादीगण के दादा व पिता छोटी के नाम वहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। बन्दोवस्त विभाग को इस प्रकार से इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं था। छोटी से विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा मृतक प्रतिवादी सं0 1 करण व प्रतिवादी सं0 2 रूपी को विरासत में प्राप्त हुआ है। जिनके नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज हो चुकी है। पत्रावली के साथ संलग्न रेकार्ड में विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा वादीगण के दादा मोहनलाल की खातेदारी होना प्रमाणित है। चूँकि विवादित आराजी साविक रेवन्यु रेकार्ड से वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग चरना की खातेदारी की होना प्रमाणित है। पत्रावली में आई मौखिक साक्ष्य में गवाह विवादित आराजी पर 1/8 हिस्सा पर वादीगण का कब्जा बताते है। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये और ना हाजिर अदालत होकर वादीगण के दावा के तथ्यों का विरोध किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा व प्रस्तुत साविक व हाल रेवन्यु रेकार्ड का खण्डन नहीं किया जो सजरा व पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड अखण्डित है। वादीगण द्वारा बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने व अपनी ओर से किसी तरह का उज्र व एतराज पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण की भी इस वावत मौन स्वीकृति प्रतीत होती है। वादीगण के दादा मोहनलाल के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

स्वर्गवास के वाद विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा वादीगण के पिता भभोरी को व भभोरी से विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा वादीगण को विरासत मे प्राप्त होना सावित है।

वन्दोवस्त विभाग के अधिकारियान व कर्मचारियान द्वारा विवादित आराजी के पुराने इन्द्राज समाप्त कर 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के दादा व पिता छोटी के नाम गलत व मौके के विपरीत दर्ज किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रसतुत राजस्व रेकार्ड, गवाहान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस के अवलोकन से विवादित आराजी में वादीगण के दादा मोहनलाल का 1/8 हिस्सा सावित है। वन्दोवस्त विभाग द्वारा वादीगण के दादा मोहनलाल का हिस्सा गलत रूप से खत्म किया गया है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 143 रकवा 0.20 हे. 145 रकवा 0.09 हे. 337 रकवा 0.16 हे. 341 रकवा 0.14 हे. 343 रकवा 0.23 हे. 362 रकवा 0.11 हे. 364 रकवा 0.23 हे. 467 रकवा 0.23 हे. 127 रकवा 0.16 हे. 128 रकवा 0.19 हे. 140 रकवा 0.19 हे. किता 11 रकवा 1.93 हे. वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर से प्रतिवादी सं0 1 मृतक करण व प्रतिवादी सं0 2 रूपी का नाम वादीगण के 1/4 हिस्सा तक कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादीगण को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पावन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के 1/8 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। रहन वय ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.07.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/313/2015

वउनवान

1. जलसिंह पुत्र भमोरी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर
2. लखनसिंह पुत्र भमोरी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

——— डिक्रीदारान

बनाम

1. करण पुत्र छोटी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

1/1. शिवसिंह पुत्र करण जाति जाट

1/2. शीशराम पुत्र करण जाति जाट

1/3. रामश्री पुत्री करण जाति जाट

1/4. लोंगश्री पुत्री करण जाति जाट

1/5. ओमवती पुत्री करण जाति जाट

निवासीयान ग्राम रेटा तहसील कठूमर

2. रूपी पुत्र छोटी जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

मदयुनान

4. नत्थी पुत्र मवासी जाति जाट

5. हरीराम पुत्र हरचन्दी जाति जाट

6. जगदीश पुत्र हरचन्दी जाति जाट

7. जगवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाट

8. हरवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाट

9. नाहरसिंह पुत्र खूवी जाति जाट

10. पूरन पुत्र होती जाति जाट

निवासीयान ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत 143 रकवा 0.20 हे. 145 रकवा 0.09 हे. 337 रकवा 0.16 हे. 341 रकवा 0.14 हे. 343 रकवा 0.23 हे. 362 रकवा 0.11 हे. 364 रकवा 0.23 हे. 467 रकवा 0.23 हे. 127 रकवा 0.16 हे. 128 रकवा 0.19 हे. 140 रकवा 0.19 हे. किता 11 रकवा 1.93 हे. वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर से प्रतिवादी सं0 1 मृतक करण व प्रतिवादी सं0 2 रूपी का नाम वादीगण के 1/4 हिस्सा तक कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादीगण को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के 1/8 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। रहन वय ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 21.07.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)